श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

राजस्व वाद संख्या –65 / 2021

दायर दिनांक –30.12.2021

निर्णय दिनांक – 20.06.2022

जीसीएमएस नं0 –2021 / 262

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री अजयपाल लवाइच पुत्र श्री दरियाव जाति जाट निवासी लवाइच का बास, ग्राम बोरवा तहसील जायल जिला नागौर। 2. श्री महेंद्र ताडा पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट निवासी राजपूतों का बास, ग्राम मेवडा तहसील डेगाना जिला नागौर।		1. श्री गोमा पुत्र हजारी जाति रावत निवासी गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– 1. श्री एस.के. चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण

2. श्री मदन सांखला, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 1

3. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित आराजी की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 1093 नया 1013 पुराना के खसरा नम्बरान 594 / 2462 रकबा 0.19 हैक्ट0 किस्म चाही 1 स्थित है जो कि वादीगण की सहखातेदारी की आराजीयात् है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी सं0 01 के द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाने व ... उक्त खसरान की सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु वादीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादीगण के वाद–पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् दर्ज रजिस्टर किया गया एवं समन नोटिस प्रतिवादीगण को जारी किये गये। जिसकी पालना में प्रतिवादी सं0 01 की ओर से वकील श्री मदन सांखला द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 01 के अभिभाषक को लगातार जवाब वाद–पत्र पेश करने हेतु निर्देशित किया गया, परंतु जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 14:18:53 IST
Reason: SelfAttested

20.6.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

वाद–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 11.04.2022 को प्रतिवादी सं0 01 के विरूद्ध जवाब वाद–पत्र बंद करने की कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण अभिभाषक द्वारा वादी सं0 02 श्री महेंद्र ताडा के सत्यापित शपथ–पत्र पेश किये, जिन्हें शामिल मिसल किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2022/963 दिनांक 05.04.2022 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि ''राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 594/2464 रकबा 0.19 हैक्ट0 किस्म चाही 1 अजयपाल लवाइच पुत्र दरियाव व महेंद्र ताडा पुत्र मूलाराम ताडा जाति जाट के नाम से दर्ज है। वाद–पत्र के बिंदु संख्या 2 में वर्णित तथ्य अनुसार मौके पर उक्त खसरे पर खातेदार का कब्जा नहीं होने से सीमाज्ञान नहीं करवाया गया।''

इस प्रकरण में वादीगण के दावा एवं प्रतिवादी सं0 02 के जवाबदावा एवं अभिवचनों व दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 18.04.2022 को निम्न तनकीयात कायम की गईः–

तनकी संख्या–1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 594/2462 रकबा 0.19 हैक्ट0 ग्राम गनाहेडा में स्थित भूमि पर प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण हटवा कर, उक्त खसरा की पत्थरगढ़ी करवाने के कानूनी अधिकारी है? – जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या–2. दादरसी ?

हमने वादीगण अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति में बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पर मनन किया। वादीगण अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पर मनन किया जाकर तनकीवार निर्णय इस प्रकार हैः–

<u>तनकी नं0 1</u>:– उक्त तनकी को साबित करने का भार सबूत वादीगण पर था जिसके संबंध में प्राप्त साक्ष्य के विवेचन करने से यह साबित होता है कि संलग्न अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी संवत् 2073–2076 के ग्राम गनाहेड़ा के खाता संख्या 1093 नया 1013 पुराना के ख. नं. 594/2462 रकबा 0.19 हैक्ट0 में अजयपाल लवाइच पुत्र दरियाव जाति जाट हिस्सा 2/5, महेंद्र ताडा पुत्र मूलाराम जाति जाट हिस्सा 3/5 संयुक्त खातेदार है। इस संबंध में प्रतिवादी सं0 01 द्वारा कोई खंडन/तर्क भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के तहत प्रतिवादी सं0 01 के अवैध कब्जे को हटाकर भौतिक कब्जा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी सं. 01 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी सं0 01 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:53 IST
Reason: SelfAttested

20.6.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित आराजी की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 1093 नया 1013 पुराना के खसरा नम्बरान 594/2462 रकबा 0.19 हैक्ट0 किस्म चाही 1 की जमाबन्दी व पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण की खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत उक्त अतिक्रमियों को वादग्रस्त आराजी से बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात् से अतिक्रमियों को बेदखल करें आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद लिया जाकर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

20.6.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:53 IST
Reason: SelfAttested